भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों में उम्मीदवारों से प्राप्त किए जाने वाले फॉर्म

<u>फॉर्म – ए</u>

सेवा-मुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए लागू प्रमाणपत्र का फॉर्म		
यह प्रमाणित किया जाता है कि नं रैन्क है, नेसेतक थल/नौ/वा		
2. इन्हें सैन्य सेवा से कार्यमुक्त किया गया है:		
# क) नियोजन के पूरा होने पर जिसमें निम्नलिखित शामिल	नहीं है	
(i) बर्खास्तगी, या		
(ii) कदाचार या अकुशलता के कारण डिस्चार्ज, या		
(iii) बिना पेन्शन के उनके स्वयं के अनुरोध पर, या		
(iv) इस प्रकार के कार्यमुक्ति को रिज़र्व पेंडिंग में अंतरित नह	ीं किया गया है।	
# ख) सैन्य सेवा के दौरान शारीरिक दिव्यांगता के कारण।		
# ग) कम-से-कम पाँच साल की सैन्य सेवा करने के बाद इन	वैलिडमेन्ट होने पर	
 वह भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर यथा संशोधित, की परिभाषा के दायरे में आते हैं। 	: पुन: रोजगार) नियमावली, 1979, समय-समय पर	
स्थान:	सक्षम प्रधिकारी का हस्ताक्षर	
तारीख:	नाम और पदनाम**	
सील		
# जो पैराग्राफ लागू नहीं हो उसे हटा दिया जाए।		
फॉर्म - बी		
सेना में कार्यरत कार्मिक हेतु प्रमाणपत्र का फॉर्म (ऐसे सेवारत कार्मिक के लिए जो एक साल के भीतर का	<u>र्यमुक्त होने वाला है)</u>	
यह प्रमाणित किया जाता है कि नंरैन्क न कार्यरत है। 2. वह अपने नियोजन की निर्धारित अवधि पूरी होने पर 3. उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है	को कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हो जाएगा।	
स्थान : तारीख: सील	सक्षम प्रधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम**	

फार्म – सी

ऐसे सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनपत्र जो एक साल के भीतर कार्यमुक्त हो जाएंगे

मैं समझता/समझती हूं कि इस आवेदन का जिस भर्ती/परीक्षा से संबंध है उसके आधार पर यदि चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करूं कि सशस्त्र बलों से मुझे विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुन: रोजगार) नियमावली,1979, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होने वाले लाभों का/की पात्र हूं।

(2) मैं यह भी समझता/समझती हूं कि इस नियुक्ति से पहले यदि किसी भी समय मैंने रिक्तियों के लिए भूतपूर्व सैनिक को प्राप्त होने वाले आरक्षण की रियायत का लाभ लेते हुए सिविल साइड (सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि सिहत) में कोई रोजगार प्राप्त कर लिया है तो इस परीक्षा के तहत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का/की पात्र नहीं रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:			
तारीख :			
उम्मीदवार व	का नाम अ	गैर हस्ताक्ष	₹

फॉर्म – डी

ऐसे सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए अनुमेय प्रमाणपत्र का फॉर्म जो अपने आरंभिक नियोजन की अवधि पहले ही पूरी कर चुके हैं और जो विस्तारित नियोजन पर हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि नं से थल/नौ/		ाम, जिसकी जन्मर्तिा
2. वह को अपना पाँच	•	न पहले ही पूरा कर चुके हैं औरत
विस्तारित नियोजन पर हैं। 3. सिविल रोजगार हेतु उनके आवेदन	। पर कोई आपत्ति नहीं है उ	और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव पत्र क
प्राप्ति की तारीख के बाद तीन माह के	नोटिस पर उसे कार्यमुक्त व	कर दिया जाएगा।
स्थान:	सक्ष	क्षम प्रधिकारी का हस्ताक्षर,
तारीख:		नाम और पदनाम**
सील		

- ** सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु में रियायत का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं:
- (क) ECO/SSCO सिंहत कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में: थलसेना: सेना सिंचव शाखा, थलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नौसेना: कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायुसेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
- (ख) JCO/OR और इनके समकक्ष जलसेना और वायुसेना के मामले में: थलसेना: विभिन्न रेजिमेन्टल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा; नौसेना: बीएबीएस, मुम्बई द्वारा; वायुसेना: वायुसेना रिकार्ड, नई दिल्ली द्वारा।